(13)

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की बैठक दिनाँक 17.10.92 को परिषद मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में हुई वर्ष 1992 की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त ।

दिनाँक 17.10.92 की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1)	सर्वश्री आर०एस० माथुर	प्रमुख सचिव, आवास उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
(2)	" राजीव कुमार सिंह	आवास आयुक्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।	सदस्य
(3)	" के०पी० भार्गव	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक।	सदस्य
(4)	" सी०बी० पालीवाल	प्रमुख सचिव/महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि ।	सदस्य
(5)	" पी०के० पाण्डेय	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम के प्रतिनिधि ।	सदस्य
(6)	" शंकर अग्रवाल	वित्त सचिव के प्रतिनिधि।	सदस्य
(7)	" डी०के० वर्मा	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव

विशेष आमन्त्री के रूप में:-

1-	श्री एस०के० शर्मा	मुख्य अभियन्ता
2-	" आर०एस० दोहरे	मुख्य वित्त नियन्त्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी
3-	" ए०के० पचौरी	मुख्य वास्तुविद नियोजक

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय किया गया:-

क्र०सं०	विषय	संकल्प सं०	निर्णय
1	2	3	4
1-	परिषद की बैठक दिनाँक 3.3.92 की अनुपालन आख्या।	चतुर्थ/(1)/92	अवलोकित किया गया।
2-	दिनाँक 1.5.92 को परिषद की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	चतुर्थ/(2)/92	दिनाँक 1.5.92 को हु[ई] बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

1	2	3	4
3-	परिषद की बैठक दिनाँक 1.5.92 की अनुपालन आख्या।	चतुर्थ/॥3॥/92	परिषद की बैठक दिनाँक 1.5.92 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
4-	सम्पत्ति प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यों के पर्यवेक्षण के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/॥4॥/92	वाईं सरकलेशन प्रकरण निस्तारित, अवलोकन किया गया।
5-	परिषद के अधिकारियों/कर्म0 को वर्ष 91-92 के निमित्त अनुग्रह धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/॥5॥/92	तदैव
6-	टैगोर नगर योजना, पीलीभीत की जन सुविधाओं को नगर-पालिका, पीलीभीत को हस्तांरित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/॥6॥/92	तदैव
7-	सम्पत्ति प्रबन्धकों एवं सहायक लेखाधिकारियों/मण्डलीय लेखाकारों के पदों पर पदोन्नति केसम्बन्ध में।	चतुर्थ/॥7॥/92	तदैव
8-	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर-18 में मध्यम आय वर्ग॥57/108॥प्रकार के 3 नग भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सैम्बन्ध में।	चतुर्थ/॥8॥/92	अवलोकन किया गया। परिषद ने यह भी जानना चाहा कि मूल्यांकन फाइनल हो गया या नहीं। सूचना अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
9-	बुलन्दशहर योजना संख्या 1 व 2 की जन सुविधाओं को नगरपालिका बुलन्दशहर को हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/॥9॥/92	अवलोकन किया गया।
10-	हुडको वित्त पोषित योजना-1991 सी के अन्तर्गत प्रस्तावित 4 प्रकार के सम्पुल हाउस के निर्माण के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/॥10॥/92	तदैव
11-	अयोध्या मार्ग योजना फैजाबाद की जन सुविधाओं को नगर पालिका फैजाबाद को हस्तगत किये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/॥11॥/92	तदैव

क्रमशः पेज 3/-

1	2	3	4
12.	परिषद की बाँदा योजना की सीवर व्यवस्था, रख-रखाव हेतु, जल संस्थान, बाँदा को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ।12।/92	वाई सरकुलेशन प्रकरण निस्तारित। अवलोकन किया गया।
13.	परिषद की योजना संख्या-1, इटावा की जन सुविधायें स्थानीय सिटी बोर्ड को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/।13।/92	तदैव
14.	महादेव झारखण्डे योजना गोरखपुर की जन सुविधाओं को नगर पालिका, जल संस्थान गोरखपुर को हस्तगत किये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/।14।/92	तदैव
15.	मथुरा स्थित राधिका विहार योजना के 23.81 एकड़ क्षेत्र के जन सुविधाओं को स्थानीय निकाय को हस्तगत करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/।15।/92	तदैव
16.	पंचवटी योजना सीतापुर में द्वितीय हडको परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन 156 नग।18/40 प्रकार।दुर्बल आय वर्ग भवनों की पुनरीक्षित, प्रशासनिक एवं वित्तीय - स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/।16।/92	तदैव
17.	झूसी योजना संख्या-3, इलाहाबाद के फेज 2 में प्रस्तावित 2 नग दुर्बल आय वर्ग ।13/23प्रकार। भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/।17।/92	तदैव
18.	कानपुर योजना संख्या-3 सेक्टर-ए के 135 एकड़ क्षेत्रफल की जल सम्पूर्ति एवं सीवेज निस्तारण व्यवस्था को जल संस्थान, कानपुर को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/।18।/92	तदैव
19.	साइट एण्ड सर्विसेज भवनों में समाविष्ट भूमि मूल्य में20प्रतिशत छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/।19।/ 92	तदैव

1	2	3	4
20.	परिषद का प्रस्ताव दिनांक 13.9.88 पुनरीक्षित करते हुये रू0 2500/= की सीमा का प्रतिबन्ध हटाते हुये परिषद के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाय।	चतुर्थ/§20§/92	परिषद ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।
21.	परिषद अनिर्माण शुल्क के विषय में पूर्व के आदेश दिनांक 6.2.88 द्वारा दैय सुविधा समाप्त की जाय। बिक्री की अनुमति के समय यदि अनिर्माण शुल्क दैय हो तो न्यूनतम 5 वर्ष का अनिर्माण शुल्क क्रेता से लिया जायेगा। इस तरह नये क्रेता को 5 वर्ष निर्माण के लिये मिलेगा। यदि नया क्रेता भी 5वर्ष में निर्माण नहीं करते तो प्रवेशन की तिथि से अनिर्माण शुल्क की गणना की जायेगा।	चतुर्थ/§21§/92	प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि अनिर्माणशुल्क की गणना कब्जा की तिथि से की जाय।
22.	परिषद की विकसित 17 योजनाओं के पानी एवं सीवर को स्थानीय निकायों को हस्तगत कराने के संबंध में अनुमति प्रदान ~~करने~~ की स्वीकृति के उपरान्त नोटिस आवास आयुक्त द्वारा निर्गत किया जाय तथा भविष्य में जो योजनायें परिषद द्वारा विकसित की जायें और उनकी सेवायें सम्बन्धित स्थानीय निकायों द्वारा समय से हस्तगत §टेक ओवर§ नहीं की जाती है तो उसके सम्बन्ध में परिषद की अधिनियम -1965 की धारा 41 के अन्तर्गत नोटिस देने के लिये आवास आयुक्त को अधिकृत करना ।	चतुर्थ/§22§/92	परिषद ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।
23.	परिषद में परिकल्पना, शोध अनुसंधान नियोजन, प्रशिक्षण आदि से सम्बद्ध अभियन्ताओं को दैय विशेष शोधभत्ता की दर संशोधित की जाय। शासन से स्वीकृति हेतु परिषद विशेष भत्ता की दर जो अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता को क्रमशः रू0 300/=, 250/= 200/= और रू0 100/=स्वीकृत है, का भुगतान शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में परिषद स्वीकृत करें। राजकीय निर्माण निगम द्वारा दिया जा रहा विशेष भत्ता परिषद अपनी संस्तुति सहित सन्दर्भित शासन को करें। अभियन्त्रण कार्मिकों के समकक्ष वास्तुकला/प्राविधिक संवर्ग के कर्मिकों को दी जा रही भत्ते की दरों को उसी प्रकार संशोधित की जाय तथा भविष्य में व्यूरो/शासन द्वारा की गयी वृद्धियाँ परिषद में स्वतः लागू मानी जायें।	चतुर्थ/§23§/92	उक्त व्यूरो को भेजे गये प्रस्ताव के स्वीकृति की प्रतीक्षा की जायें। व्यूरो से अनुरोध किया जाये कि वह इस विषय पर अपना निर्णय शीघ्र भेजें।

17.10.92 (15)

1	2	3	4
24-	परिषद की विभिन्न योजना में शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य संस्थाओं को भूमि आवंटित करने हेतु भूमि दर निर्धारित करने के संबंध में।	चतुर्थ/(24)/92	प्रस्ताव परिषद द्वारा इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि दर्ल्क सेल हेतु प्रस्तावित दरें केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं को ही भूमि आवंटित करने के लिये होगी। यह दरें निजी निर्माताओं व निजी संस्थाओं को भूमि आवंटित करने के लिये लागू नहीं होगी।
25-	परिषद में संविदा वेतन पर लेखपाल पद पर कार्यरत श्री कैलाश सिंह को लेखपाल पद पर नियमित रूप से नियुक्ति की जाय और उन्हें प्रशिक्षण की शर्त और आयु सीमा में छूट दी जाय और सीधी भर्ती द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने हेतु शासन से अनुमति प्राप्त की जाय।	चतुर्थ/(25)/92	परिषद द्वारा प्रशिक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रदान की गयी। शासन से अनुमोदन प्राप्त कर रिक्त पदों को भरा जाय।
26-	श्री उत्तम चन्द बंसल, तत्कालीन सहायक अभियन्ता जिनकी दक्षता रोक दिनांक 1.8.76 से पार हो चुकी है, को दिनांक 1.8.76 से 31.8.79 तक का एरियर का भुगतान किया जाना।	चतुर्थ/(26)/92	परिषद ने प्रस्ताव अनुमोदित किया।
27-	परिषद में कार्यरत 46 दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिन्होंने नगर विकास विभाग के आदेश संख्या दि० 19.10.89 के अनुरूप 1989 तक तीन वर्ष की लगातार सेवा कर ली है और प्रत्येक वर्ष में 240 दिन की सेवा पूर्ण कर ली है को चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में रिक्त 128 पदों के विरुद्ध विनियोजित किया जाना।	चतुर्थ/(27)/92	यह प्रकरण शासन स्तर पर भी विचाराधीन है। शासन से निर्णय प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाय।
28-	परिषद में कार्यरत 32 दैनिक वेतन भोगी लिपकीय कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 11.10.89 तक तीन वर्ष तक की निरन्तर सेवा की है और प्रत्येक वर्ष में 240 दिनों की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है को विनियमितीकरण।	चतुर्थ/(28)/92	शासन से मार्गदर्शन/प्राप्त कर कार्यवाही की जाय।
29-	मुख्य वास्तुविद नियोजक का पद वैराने वेतनमान 3700-5000 को दि० 27.6.86 अपरान्ह से रु० 5100-6150 किया जाय।	चतुर्थ/(29)/92	परिषद ने प्रस्ताव अनुमोदित किया।

क्रमशः पेज 6/-

(20)

1	2	3	4
30.	परिषद की गाजियाबाद योजना संख्या-3 में समाविष्ट ग्राम सहोबाबाद की भूमि खसरा संख्या 675,676 671,674,667 व 668 श्रीमोती लाल गोयल के आवेदन के अनुसार योजना में समायोजित करने के संबंध में परिषद की पूर्व बैठक के निदेशानुरूप आवास आयुक्त के निर्णय को अवगत कराना ।	चतुर्थ/§30§/92	परिषद विषय से अवगत हुई। आवास आयुक्त का निर्णय अनुमोदित किया गया ।
31.	लक्सर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 हरिद्वार के विषय में नियोजन समिति की टिप्पणी एवं संस्तुतियों पर विचार करना एवं अनुमोदन प्रदान करना ।	चतुर्थ/§31§/92	परिषद ने आवास आयुक्त को परिषद की ओर से नियोजन समिति की संस्तुति से संतुष्ट होने एवं अनुमोदन हेतु अधिकृत किया। भविष्य में परिषद के समक्ष नियोजन समिति के प्रस्ताव के साथ नियोजन समिति द्वारा की गई सुनवाई का विस्तृत ब्योरा तथा आवास आयुक्त की संस्तुति अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत की जाया करें।
32.	मुजफ्फरनगर स्थित रिंग रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 में समिति की संस्तुति के अनुरूप 56.83 एकड़ भूमि में से 35.88 एकड़ भूमि अधिगृहीत करने की स्वीकृति प्रदान की जाय तथा अवशेष भूमि को योजना से अलग करते हुये उसे काश्तकारों से सुधार शुल्क लेने की अनुमति दी जाय।	चतुर्थ/§32§/92	मौके का मानचित्र के साथ पूरा औचित्य शासन को स्वीकृति हेतु भेजा जाय।
33.	आलमनगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना आलमनगर लखनऊ के सम्बन्ध में नियोजन समिति की संस्तुति को परिषद अधिनियम-65 की धारा 31§1§ के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करना तथा 20 लाख से कम की योजना होने के कारण परिषद के अनुमोदन से योजना का प्रकाशन धारा-32 में करने की अनुमति प्रदान करना ।	चतुर्थ/§33§/92	परिषद ने प्रस्ताव अनुमोदित किया ।
34.	कोटद्वार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 नजीबाबाद के सम्बन्ध में नियोजन की समिति की टिप्पणी एवं संस्तुति पर विचार करने एवं धारा-31ए के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करना ।	चतुर्थ/§34§/92	इस शर्त के साथ अनुमोदित कि नियोजन समिति की संस्तुति से आवास - आयुक्त अपने को संतुष्ट कर लें।
35.	हरपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बलिया में समाविष्ट खसरा सं0 56,57, व 58 की भूमि श्री जगरनाथ के पक्ष में अर्जनमुक्त करने के संबंध में परिषद के समक्ष निम्न दो विकल्प विचारार्थ प्रस्तुत किये गये:- §1§ खसरा नं056में निर्मित मंदिर।1.00 वर्गमी0भूमि को विकास शुल्क लेते हुये क्रेता §भूस्वामी के पक्ष में योजना में समायोजित	चतुर्थ/§35§/92	परिषद ने निर्णय लिया कि विकल्प-2 के अनुरूप प्रश्नगत भूमि पार्क/खुली भूमि के रूप में योजना में समायोजित कर ली जाय।

(21)

1	2	3	4
	अथवा 2) प्रश्नगत मंदिर को योजना के आकार में पार्क/खुली भूमि के रूप में समायोजित किया जाय।		
36-	राजपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या-1 देहरादून में समाविष्ट नजूल आर०पी०एस०महाल खसरा सं० 284/1 व 285/1 स्थित ग्राम [illegible], राजपुर रोड, देहरादून को उनके पक्ष में अर्जन मुक्त न करने के विषय में परिषद की समिति के विचार।	चतुर्थ/(36)/92	परिषद ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि नजूल महाल के पक्ष में प्रश्नगत भूमि को अर्जनमुक्त करने का कोई औचित्य नहीं है।
37-	ग्राम [illegible] मलौली, तहसील व जिला लखनऊ में स्थित संजय मेमोरियल सहकारी समिति लिमिटेड लखनऊ की भूमि खसरा सं० 519, 520, 521, 523 कुल रकबा [illegible] पुनरीक्षित को प्रस्तावित योजना से मुक्त किये जाने पर विचार।	चतुर्थ/(37)/92	परिषद ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रश्नगत भूमि छोड़ी न जाय। इस प्रस्तावित योजना हेतु अर्जित की जाय।
38-	[illegible] रोड योजना में समाविष्ट खसरा सं० 49 व 58 ग्राम रैतासपुर, श्रीमती [illegible] के संबंध में नियोजन समिति की संस्तुति पर परिषद की धारा 31(1) की स्वीकृति प्रदान करना।	चतुर्थ/(38)/92	नियोजन समिति की संस्तुति अनुमोदित की गयी धारा 31(1) की स्वीकृति प्रदान की गयी।
39-	[illegible] भूमि विकास एवं गृह-स्थान योजना संख्या-1 [illegible] के सम्बन्ध में नियोजन समिति की संस्तुति पर विचार एवं धारा-31(1) के अन्तर्गत स्वीकृत प्रदान करना।	चतुर्थ/(39)/92	नियोजन समिति की संस्तुति पर विचार करके धारा 31 ए के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी।
40-	[illegible] नगर योजना लखनऊ में समाविष्ट महानगर नार्थ हाउसिंग समिति की विवादित भूमि खसरा सं० 158, 159, 160, 162, 163, 154/1, 155 स्थित ग्राम-[illegible]पुर के सम्बन्ध में समझौते के अनुसार विवाद का सुलझाया जाना।	चतुर्थ(40)/92	इस प्रकरण पर विचार करने के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि प्रश्नगत प्रकरण में मान० उच्च न्यायालय में गत 10 वर्ष से स्थगन आदेश है। इस स्थगन आदेश को रिक्त कराने की तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाय और इसके बाद भी इसमें सफलता नहीं मिलती है तो प्रकरण अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाय।

क्रमशः पेज 8/-

41.	मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 (भाग-1) मुरादाबाद में समाविष्ट श्री राम स्ट्रा बोर्ड मिल्स को भूमि के विषय में उद्योग बन्धु द्वारा लिये गये निर्णय कि फैक्ट्री को विकास शुल्क से मुक्त रखा जाय, पर विचार करना।	चतुर्थ/(41)/92	परिषद ने अपेक्षा की कि आवास आयुक्त मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक तथा उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ स्ट्रा बोर्ड मिल्स का निरीक्षण करें व संस्तुति करें कि उक्त मिल को कितनी भूमि की वास्तविक आवश्यकता है। तदोपरान्त प्रकरण को पुनः परिषद को निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय।
42.	कुर्सी रोड विस्तार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-बढ़हा सबौली के खसरा संख्या 494,495 व 497 जिसे अर्जन मुक्त करने के विषय में शासन के आदेश प्राप्त हुए हैं, पर पुनर्विचार करना तथा योजना हित में भूमि को अर्जन-मुक्त न किये जाने की संस्तुति शासन को भेजने के विषय में विचार।	चतुर्थ/(42)/92	परिषद ने इस तथ्य पर विचार किया कि खसरा संख्या 494,495 व 497 की भूमि जिसको अर्जनमुक्त करने हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त हुई है, को अर्जनमुक्त करने, एवं योजना से अर्जनमुक्त करने देने पर परिषद की योजना दो भागों में बँट जाती है। परिषद ने अपेक्षा की कि इस प्रश्न से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार किया जाय क्योंकि शासन ने परिषद की संस्तुति पर भूमि को अर्जनमुक्त करने के आदेश दिये थे। विशेष रूप से यह देख लिया जाय कि योजना के लिये जितनी भूमि आवश्यक है इसके लिए योजना का ट्रान्सपोर्टेशन प्लान तैयार करा लिया जाय। यदि अवमुक्त की गयी भूमि का कुछ भाग योजना के समुचित विकास के लिए आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

....9/-

45.	परिषद की ओबरी भूमि विकास गृहस्थान योजना सं या-3 बाराबंकी में स्थित श्री पी0एम0एल0 श्रीवास्तव की भूमि खसरा सं0 509 के सम्बन्ध में विकास शुल्क की शर्त हटाये जाने के प्रस्ताव के विषय में विचार।	चतुर्थ/(43)/92	परिषद ने बैठक में प्रस्तुत निम्न तथ्यों पर भी विचार किया जो टिप्पणी में नहीं है:- 1- परिषद योजना को एक मात्र एप्रोच मार्ग खसरा संख्या 509 से ही उपलब्ध है,परन्तु इसके भू-स्वामी श्री श्रीवास्तव द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किये जाने के कारण एप्रोच सड़क का निर्माण बाधित है। 2- विवाद को समाप्त करने के लिए भू-स्वामी के साथ परिषद द्वारा जो समझौता किया गया उसमें सड़क के लिए अर्जित भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि को छोड़ने की बात कही गयी। समझौते में विकास शुल्क का कोई उल्लेख नहीं है। 3- भू-स्वामी द्वारा योजना के विकास कार्य यथा-सीवर,जलसम्पूर्ति,विद्युत,मार्ग आदि का कोई लाभ नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास ये सुविधायें परिषद की योजना संचालन से पूर्व ही उपलब्ध थी। 4- परिषद के पूर्व संकल्प संख्या पंचम/(40)/89 में प्राविधानित विकास शुल्क की शर्त को हटाने से विवाद का हल हो सकेगा तथा भू-स्वामी अपना वाद मा0 उच्च न्यायालय से वापिस ले लेंगे। परिषद भी अपनी सड़क बना सकेगी। अतः परिषद ने निर्णय लिया कि वर्णित परिस्थितियों में पूर्व संकल्प सं0 पंचम/(40)/89 में प्राविधानित विकास शुल्क की शर्त को हटाया जाये।

....10/-

1	2	3	4
44.	टनकपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 की भूमि का अनुमानित दर 110.91 वर्गमी० आने, योजना में मात्र 5 व्यक्तियों का पंजीकरण होने व इतने भवनों की संदिग्ध विक्रयशीलता के कारण योजना के परित्याग पर विचार करना ।	चतुर्थ/§44§/92	परिषद ने इस योजना में अल्प पंजीकरण एवं संदिग्ध विक्रयशीलता को देखते हुये योजना के परित्याग के प्रस्ताव को अनुमोदित किया ।
45.	इंदिरानगर योजना, लखनऊ के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार गुप्ता को अल्प आय वर्ग भवन सं० 21/294 के विषय में जारी निरस्तीकरण आदेश दिनांक 6.6.88 विशेष परिस्थितियों के कारण समाप्त करते हुये, पूर्व आवंटन पत्र दिनांक 2.12.87 संशोधित करते हुये अन्य उपलब्ध भवन तत्समय के मूल्य में तथा साधारण ब्याज पर दिये जाने पर विचार ।	चतुर्थ§45§/92	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। भविष्य में यदि इस प्रकार की घटना प्रकाश में आती है तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी से रिकवरी भी की जाय।
46.	शाहपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-7 गोरखपुर में समाविष्ट श्रीमती इंदिरागांधी धर्मार्थ औषधालय गोरखपुर की संचालिका श्रीमती वैधावागेश्वरी देवी की प्रार्थना कि उनकी संस्था को भूमि व्यवसायिक दर पर न देकर वर्ष 1983 की आवासीय दर के आधे पर प्रदिष्ट किया जाय।	चतुर्थ/46§/92	प्रस्ताव डेफर किया गया। अगली बैठक में परिषद ने जानना चाहा कि क्या वर्ष 83 में परिषद में इस तरह के और भी केसेज हुये थे ?
47.	परिषद की चिरंजी लाल कन्या विद्यालय योजना अलीगढ़ में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन सं० 10/2 के विषय में श्रीमती आइशा बेगम की प्रार्थना कि उक्त भवन उनके पक्ष में नकद क्रय पद्धति के आधार पर आवंटित किया जाय पर विचार ।	चतुर्थ/§47§/92	निर्णय लिया गया कि प्रार्थिनी को विशेष छूट दिये जाने का कोई औचित्य नही है।
48.	परिषद की योजनाओं के अन्तर्गत मांस/मछली की दुकानों पर देशी/अंग्रेजी शराब आदि की दुकानों की भांति प्रतिबन्ध लगाये जाने के संबंध में विचार ।	चतुर्थ/§48§/92	प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
49.	अध्यक्ष§म०§ एवं आवास आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव का अवलोकन जो हडको वित्त पोषित तृतीय एम०आई०जी०परियोजना सं० § योजना संख्या-3 कानपुर §स्कीम नं० 9630§के सम्बन्ध में है।	चतुर्थ/§49§/92	बाई सर्कुलेशन निस्तारित। प्रकरण का परिषद द्वारा अवलोकन किया गया ।
50.	अध्यक्ष§म०§ एवं आवास आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव का अवलोकन जो हडको वित्त पोषित छठवी हडको एम०आई०जी० परियोजना रूद्रपुर §स्कीम नं० 967§ में स्वीकृत ऋण की सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में है।	चतुर्थ/§50§/92	बाई सर्कुलेशन निस्तारित प्रकरण का परिषद द्वारा अवलोकन किया गया ।

क्र0	2	3	4
51.	अध्यक्ष(गा0) एवं आवास आयुक्त द्वारा ~~पूर्व~~ अनुमोदित प्रस्ताव का अवलोकन जो परिषद द्वारा संचालित-3 भूमि अर्जन योजनाओं में हडको से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में है।	चतुर्थ/51/92	बाईसर्क्युलेशन निस्तारित प्रकरण का परिषद द्वारा अवलोकन किया गया।
52.	अध्यक्ष(म0) एवं आवास आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव का अवलोकन जो भूमि अर्जन योजना महोला योजना सं0-1(भाग-2) तथा रामपुर भूमि अर्जन योजना संख्या-4 में हडको से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में है।	चतुर्थ/(52)/92	तदैव
53.	मेरठ योजना सं0-10 में भूमि अर्जन दर के विरुद्ध किये गये संदर्भों पर अपर जिला जज मेरठ द्वारा घोषित प्रतिकर रूपया 35.88 प्रति वर्गमी0 को बढ़ाकर 161.46 प्रति वर्गमी0 कर देने से योजना का वास्तविक व्यय काफी बढ़ गया है (यद्यपि इसका वाद मा0 उच्च-न्यायालय से अभी निर्णीत नहीं हुआ है)। अतः आवंटियों को दिये जाने वाले आवंटनपत्र एवं लीज डीड में यह अतिरिक्त प्राविधान बढ़ाया जाये कि यदि परिषद मा0 उच्च-न्यायालय के मुकदमे में सफल नहीं होती तो अप्रैल,92 से भूमि दर रू0 2035/=प्रति वर्गमी0 प्रभावी होगी।	चतुर्थ(53)/92	परिषद ~~द्वारा~~ प्रस्ताव का अनुमोदित किया गया।
54.	परिषद में सी0पी0एफ0केस्थान पर पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी योजना का लागू किया जाना।	चतुर्थ/(54)/92	उद्यम ब्यूरो से आदेश प्राप्त कर कार्यवाही की जाय।
55.	वित्तीय वर्ष 1991-92 के पुनरीक्षित एवं 1992-92 के प्रस्तावित आय व्ययक से संबंधित संक्षिप्त दिशासूचन नीति पत्रक का अवलोकन।	चतुर्थ/55/92	अवलोकन किया गया।
56.	बेगम हजरतमहल नगर योजना,लखनऊ में निर्मित स्वयं वित्त पोषित 88 91ए तथा 91बी भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के प्रस्ताव पर विचार।	चतुर्थ/56/92	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
57.	परिषद की बैठक दि003.3.92 के संकल्प सं01/53/92द्वारा गठित उप समिति की संस्तुति के प्रस्ताव सं0-2 में परिषद सदस्य मुख्य अभियन्ता उ0प्र0जल निगम के अ0शा0पत्रसं0986/मु0अ0/एक-1/22 दि004.3.92 के द्वारा प्रस्तुत आंशिक संशोधनके संबंध में।	चतुर्थ/57/92	प्रस्तावित संशोधन स्वीकार किया गया।

1	2	3	4
58.	मेरठ की योजना सं0-3 §आई एवं के ब्लाक§ तथा योजना सं0-7 की जन सुविधाओं को नगर महापालिका मेरठ को हस्तान्तरित करने के संबंध में विचार ।	चतुर्थ/58/92	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

§डी0के0वर्मा§
सचिव

§राजीव कुमार सिंह§
सदस्य/आयुक्त

§आर0एस0माथुर§
अध्यक्ष